



सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित हैं।

क्र. सं.	ऋणी/ सहअनुबंधियों का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना की देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1.	ऋण खाता संख्या: 89000557118, ऋणी: श्री पूरन सिंह पुत्र श्री छोटे लाल निवासी मोहल्ला कोरियान शिव मंदिर के पास, बिलारी, मुरादाबाद (उ.प्र.) सहअनुबंधी: 1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल निवासी मोहल्ला कोरियान शिव मंदिर के पास, बिलारी, मुरादाबाद (उ.प्र.), 2. श्री मौहम्मद इकबाल पुत्र श्री अब्दुल वाहिद निवासी मोहल्ला अंसारियान गाबा देवत मंदिर के पास, बिलारी, मुरादाबाद (उ.प्र.)	एक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 21.38 व.मी. है स्थित है मोहल्ला कोरियान शिव मंदिर के पास, बिलारी, मुरादाबाद (उ.प्र.) बही संख्या 1, जिल्द संख्या 2661 पृष्ठ संख्या 341 से 364 क्रम संख्या 3660 दिनांक 23.06.2010 जोकि श्री पूरन सिंह पुत्र श्री छोटे लाल के नाम सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलारी मुरादाबाद (उ.प्र.) पर पंजीकृत है जिसकी सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: जगदीश सरन का मकान, पश्चिम: बूजकिशोर का मकान, उत्तर: जगदीश सरन गुप्ता का मकान, दक्षिण: नगर पालिका की सड़क।	07.02.2018 रु. 5,30,917.00 दिनांक 07-02-2018 तक तत्पश्चात जमा धनराशि को समायोजित करते हुए यदि कोई है 17-07-2018 /सांकेतिक	रु. 8,01,000/- रु. 80,100/- दिनांक 18.03.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.03.2025 दिन मंगलवार प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक शाखा परिसर -ढकिया नरु
2.	ऋण खाता संख्या: 20108147524, ऋणी: श्री नजाकत अली पुत्र श्री हिमायतुल्ला निवासी ग्राम सफीलपुर पोस्ट अमरपुर काशी चंदौसी जिला सम्भल (उ.प्र.) सहअनुबंधी: श्रीमती नईम बानो पत्नी श्री हिमायतुल्ला निवासी ग्राम सफीलपुर पोस्ट अमरपुर काशी चंदौसी जिला सम्भल (उ.प्र.)	एक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 83.59 व.मी. है स्थित है कैन सोसायटी के पीछे चंदौसी रोड, बिलारी, मुरादाबाद (उ.प्र.) बही संख्या 2, जिल्द संख्या 414 पृष्ठ संख्या 247 से 280 क्रम संख्या 1077 दिनांक 14.03.2001 जोकि श्रीमती नईम बानो पत्नी श्री हिमायतुल्ला के नाम सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलारी मुरादाबाद (उ.प्र.) पर पंजीकृत है जिसकी सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: रजिया बेगम का प्लाट, पश्चिम: प्लाट मुकिर, उत्तर: प्लाट मुकिर, दक्षिण: रास्ता 9 फिट चौड़ा।	05.02.2019 रु. 8,60,185.00 दिनांक 29-01-2019 तक तत्पश्चात जमा धनराशि को समायोजित करते हुए यदि कोई है 10-03-2023 /सांकेतिक	रु. 3,06,000/- रु. 30,600/- दिनांक 18.03.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.03.2025 दिन मंगलवार प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक शाखा परिसर -ढकिया नरु
3.	ऋण खाता संख्या: 84291B01134613, ऋणी: श्री मोहम्मद शफीक पुत्र श्री अब्दुल वाहिद निवासी मोहल्ला अंसारियान, नई बस्ती, ट्रांसफार्मर बिलारी मुरादाबाद (उ.प्र.) सहअनुबंधी: 1. श्री अब्दुल वाहिद पुत्र श्री अल्लाबक्श निवासी मोहल्ला अंसारियान, नई बस्ती, ट्रांसफार्मर बिलारी मुरादाबाद (उ.प्र.) 2. श्री मौहम्मद शफी उर्फ शफी अहमद पुत्र नवाब जान निवासी मोहल्ला अंसारियान, नई बस्ती, ट्रांसफार्मर बिलारी मुरादाबाद (उ.प्र.)	एक सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 124.18 व.मी. है स्थित है मोहल्ला अंसारियान नई बस्ती कस्बा बिलारी, मुरादाबाद (उ.प्र.) बही संख्या 1, जिल्द संख्या 697 पृष्ठ संख्या 63, अतिरिक्त विक्रय विलेख बही नं. 1 जिल्द नं. 711 पृष्ठ 775 से 784 क्रम संख्या 3315 दिनांक 21.12.1993 जोकि श्री अब्दुल वाहिद पुत्र श्री अल्लाबक्श के नाम सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिलारी मुरादाबाद (उ.प्र.) पर पंजीकृत है जिसकी सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: रास्ता, पश्चिम: जाहिद का मकान, उत्तर: मोहम्मद सईद का मकान, दक्षिण: सिददीकी का मकान।	10.08.2020 रु. 9,54,192.00 दिनांक 30-06-2020 तक तत्पश्चात जमा धनराशि को समायोजित करते हुए यदि कोई है 06-04-2022 /सांकेतिक	रु. 22,68,000/- रु. 2,26,800/- दिनांक 18.03.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.03.2025 दिन मंगलवार प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक शाखा परिसर -ढकिया नरु

सम्पत्ति का पूरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्तें:- 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली की 25% धनराशि (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 15 दिनों में अंदर जमा करनी होगी अन्यथा पूर्व में जमा की गयी धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को "जैसा है जहां है, जो भी है" के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणाकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी के अन्त में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ी जाए।